राज्यपाल के अवर सचिव **Under Secretary to Governor**



राज भवन, रायपूर RAJBHAVAN, RAIPUR

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office: 2331101

निवास Res.

फैक्स Fax

2331104

क्रमांक / 3684/11293 / 2009 / रास / यू – 5

रायपूर, दिनांक 6 / 08 / 2015

प्रति.

कुलपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्य, सेक्टर--8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र.—10 में संशोधन बाबत। विषय :--

विश्वविद्यालय पत्र क्र. / छगरवावितविवि / प्रशा / 2015 / 1909, दिनांक 24.07.2015. सन्दर्भ :-

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय में कार्य-परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 30.06.2015 द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक—10 (Ordinance for Doctor of Philosophy) में Clause No. 3.4 (iv) के पश्चात नवीन Clause No. 3.4(v) "Teachers holding contract appointment, who have served as teachers for a total minimum period of four years in a department of the University / affiliated college / institution" जोड़े जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरुप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक 03.08.2015 से प्रवृत्त होगा ।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार ।

कुलाधिपति छत्तीसगढ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

> (आर.के. स्वरितक राज्यपाल के अवर सचिव

🛦 छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक

/08/2015

/ 11293 / 2009 / रास / यू.--5 पृष्टा. क्रमांक / प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 की ओर सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में ।

> राज्यपाल के अवर सचिव छत्तीसगढ



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

AMMENDMENT PROPOSED IN ORDINANCE NO. 10 - MODIFIED ORDINANCE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY AS PER THE DECISION TAKEN IN THE 42nd EXECUTIVE COUNCIL MEETING HELD ON 30.06.2015

I.	Sn.
Ordinance no. 10 – 3.4(v) Modified Ordinance of Doctor of Philosophy	Ordinance no. & Description
3.4(v)	Clause no
New Clause to be added	Existing Clause
Teachers holding contract appointment, who have served as teachers for a total minimum period of four years in a department of the University/affiliated college/institution	Proposed New Clause
This clause has been included to encourage research activities amongst teachers working on Contract appointment in various affiliated institutions, who otherwise are deprived of pursing doctoral programmes due to the provisions contained in the present Ordinance.	Justification

हारा अनुमोदिना द्वारा अनुमोदिना राज्यपाल के अवर स्थान राजभवन, रायपुर